**जोखिम भरा काम:**

भारत में भ्रष्टाचार पर कार्य करने वाले पत्रकारों को इसकी कीमत कभी अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है

**सिफारिशें**

**केन्द्र सरकार के लिए:**

1. राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार बचाव और सुरक्षा मैकेनिज्म के लिए प्रारूप प्रस्ताव प्रस्तुत करने और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, जिसकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत गारंटी दी गई है, के विरुद्ध अपराधों को संघबद्ध करने के तरीके प्रस्तुत करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विशेषज्ञता रखने वाले अनुभवी न्यायविदों, पत्रकारों, विद्वानों, और विशेषज्ञों का एक समूह बनाना।

2. कोलंबिया**,** जहां सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा मैकेनिज्म स्थापित किया गया था**,** सहित उन देशों द्वारा प्रयुक्त श्रेष्ठ पद्यतियों का अध्ययन करें जिनके मीडिया को खतरों का सामना करना पड़ रहा है**;** और साथ ही मेक्सिको से भी सीख ले सकते हैं जहां प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर होने वाले हमलों की जांच करने के लिए एक संघीय प्रोसिक्यूटर का ऑफिस स्थापित किया गया था।

3. न्याय प्रदान करने में कमियों की पहचान करने और कानून के प्रवर्तन और न्यायपालिका में क्षमता की चुनौतियों का सामना करने के तरीकों की पहचान करने के लिए, प्रेस विरोधी हिंसा में दंड के अभाव पर एक संसदीय सुनवाई का आयोजन किया जाए।

4. न्यायपालिका, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन, और पुलिस सहित प्राधिकरणों की क्षमता में सुधार लाने के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया कराएं ताकि स्वतंत्र पत्रकारों, ब्लॉगरों, और सोशल मीडिया पर समाचार प्रकाशित करने वाले लोगों सहित पत्रकारों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के संबंध में व्यापक और समय पर जांच की जा सके और मुकदमा चलाया जा सके।

5. पत्रकारों की सभी हत्याओं की सार्वजनिक और स्पष्ट तरीके से निंदा की जाए।

6. 2 नवम्बर को वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्युनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट का सार्वजनिक आयोजन करें।

7. मारे गए पत्रकारों के सभी मामलों की न्यायिक स्थिति और दंड के अभाव से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट एण्ड डेंजर ऑफ इम्प्युनिटी पर यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा मांगी गई जानकारी का विस्तृत उत्तर दें। पूर्ण उत्तर सार्वजनिक करें।

**सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन के लिए:**

1. वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश में अक्षय सिंह की मौत और वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ में उमेश राजपूत की मौत की जांच तेजी से पूरी करें; संदिग्धों की पहचान कर उन्हें उपयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

**उत्तर प्रदेश सरकार के लिए:**

1. वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश में हुई जगेन्द्र सिंह के हत्या के मामले को तत्काल राज्य पुलिस से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन को अंतरित किया जाए।

2. राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए स्थापित हॉटलाइन के बारे में व्यापक जागरुकता फैलाएं और धमकी अथवा हमले की किसी भी सूचना पर शीघ्रता से जांच करने के लिए कदम उठाएं।

**छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के लिए:**

1. पत्रकारों द्वारा अपने काम को करने के संबंध में मिल रही सभी धमकियों को तत्काल बंद कराने के संबंध में पुलिस को आदेश दें। सामाजिक एकता मंच जैसे माओवादी समूहों सहित उन सभी एक्टरों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जो पत्रकारों का उत्पीड़न करते हैं अथवा उन्हें धमकियां देते हैं।

2. अपने कार्य के संबंध में राज्य की जेलों में बंद सभी पत्रकारों को छोड़ा जाए।

**भारतीय मीडिया से:**

1. व्यक्तिगत हमलों, धमकियों और उत्पीड़न सहित प्रेस विरोधी हिंसा के मामलों की बेहतर जांच और रिपोर्टिंग करें, भले ही पीड़ित किसी भी मीडिया समूह से संबद्ध हो।

2. ACOS संधि (ए कल्चर ऑफ सेफ्टी अलायंस) पर हस्ताक्षर करें, उसमें दिए सिद्धांतों का कार्यान्वयन करें और कर्मचारियों और स्वतंत्र पत्रकारों को उचित सुरक्षा और प्रतिकूल माहौल के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करें; जिन पत्रकारों को धमकाया जाता है अथवा जिन पर हमला किया जाता है उन्हें समर्थन दें; और पुलिस अथवा अन्य जांच एजेंसियों को गहन जांच के लिए जवाबदेह ठहराएं।

3. नियोक्ताओं को अनियमित पत्रकारों और अंशकालिक कर्मचारियों सहित मीडिया के सभी कर्मचारियों को अद्यतन पहचान पत्र मुहैया कराने चाहिए।

4. कर्मचारियों अथवा स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा किसी भी धमकी, उत्पीड़न, अथवा हमले की जानकारी के लिए नियोक्ता द्वारा स्पष्ट मैकेनिज्म बनाना चाहिए और उन्हें उचित समर्थन की पेशकश करनी चाहिए।